(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 167/2024 **दायर दिनांक: 18.12.2024**

उनवान

1. पवन पाटीदार पि. देवीलाल जाति कुल्मी नि. सेमलीभवानी तहसील रायपुर
2. प्रमोदकुमार पाटीदार पि. देवीलाल जाति कुल्मी नि. सेमलीभवानी तह.रायपुर
3. कमलेश कुमारी पत्नी पवन जाति कुल्मी नि. सेमलीभवानी तहसील रायपुर
4. प्रेमबाई पत्नी स्व० देवीलाल जाति कुल्मी नि. सेमलीभवानी तहसील रायपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामगोपाल पि. ओंकारलाल जाति कुल्मी नि. सेमलीभवानी तहसील रायपुर

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :–

अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री नीलकमल त्रिवेदी

निर्णय

दिनाक: 06.11.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त, खातेदारी में दर्ज आराजी ग्राम सेमलीभवानी पटवार हल्का सुवांस तहसील रायपुर में स्थित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार खाता संख्या नया 40 पुराना 31 कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 12.5831 हैक्टेयर में दर्ज खसरा सं. 417 रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि ग्राम सेमलीभवानी में स्थित हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खसरा सं. 417 रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि के रास्ते के लिए पेश कर रहे हैं। यह कि अप्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार खाता संख्या नया 111 खाता संख्या पुरान 97 खसरा सं. 419 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या नया 112 खाता संख्या पुराना 98 कुल खसरा किता 08 कु[illegible] हैक्टेयर में दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

[illegible] रास्ते का उपयोग करते हैं।

प्रेमबाई
प्रमोद पाटीदार पवन पाटीदार कमलेश कुमारी

निरन्तर पेज नं. 02 पर.................

(6)

खसरा संख्या 422 रकबा 2.1625 हैक्टेयर स्थित हैं। यह कि प्रार्थीगण का रास्ता खसरा संख्या 422, 419 की मेड पर हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है– रास्ता ग्राम माथनिया से ग्राम कालीतलाई जाने वाली सड़क पर पश्चिम से पूर्व की ओर सड़क पर चलते हुए खसरा सं. 422 की पश्चिमी मेड पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में चलकर खसरा संख्या 419 की उत्तरी मेड पर पूर्व से पश्चिम में रास्ते से प्रार्थीगण अपने खसरा सं. 417 में प्रवेश करते हैं। जिसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट हैं। इस रास्ते के अतिरिक्त सुगम व छोटा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण को अपने खसरा संख्या 417 में पहुँचने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यही एक मात्र रास्ता है जो प्रार्थीगण की आराजी में सुगमता से अपने जानवरों को लाने, ले, जाने, ट्रैक्टर–ट्रॉली, कृषि औजार, बैलगाड़ी, सामद, फसल लेकर आते–जाते है, खाद–बीज लेकर जाते है, पैदल, कदीमी रास्ते का उपयोग करते हैं। इस रास्ते को कभी भी क्षण मात्र, को भी बन्द नहीं किया है परन्तु अब अप्रार्थी आपसी विवाद एवं पारिवारीक वैमनस्यता के कारण रास्ते में अवरोध लगाकर तथा अस्थायी रोक उत्पन्न कर रास्ता बन्द करना चाहता है, इसके लिए अप्रार्थी रास्ते में प्रार्थीगण को आते–जाते समय पैदल कदीमी रूप से आने–जाने में जानवर लाने ले जाने में कृषि औजार लाते ले जाते समय लड़ाई–झगड़ा कर अशांती उत्पन्न करते हैं। रास्ते का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ३अ३ नजरी नक्शा में किया है जिसे बिन्दु A, B, C से दर्शाया है। यह कि प्रार्थीगण का रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 03 में किया है। यही एक मात्र रास्ता खसरा सं. 417 पर पहुँचने के लिए मौजूद है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं हैं। इस रास्ते को रोकने, अवरुद्ध करने के लिए अप्रार्थी अस्थायी रोक लगाकर बंद करना चाहता है तथा भूमि के धरातल को असामान्य कर रास्ते को रोकना प्रारम्भ किया है. अप्रार्थी की सोच है कि इस प्रकार के अस्थायी अवरोध लगाने से प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग छोड़ देगे। अप्रार्थी की यह सोच दूषित हैं। अप्रार्थी, प्रार्थीगण के रास्ते ... पर अमादा होकर प्रार्थीगण के रास्ते को बंद करना चाहता है ... पूर्ण है परन्तु प्रार्थीगण ऐसा कोई भी विवाद ... होकर रास्ते से आते जाते है. अपनी आराजी पर कारते करते ... तथा प्रयास करते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कि विवाद नहीं होकर, रास्ता चालू रहें। यह कि प्रार्थीगण ने रास्ते के लिए तहसीलदार रायपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थीगण को सलाह दी है कि रास्ते के बाबत् उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहाँ अन्तर्गत धारा 251ए आर०टी०ए० का प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ते का विवाद समाप्त करने के लिए रास्ते में आने वाली भूमि का डी.एल.सी की दर से राशि जमा करवाकर स्थायी रास्ता प्राप्त करें। इसी अनुतोष के लिए प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कि अप्रार्थी ने रास्ता बन्द करने की नीयत से विवाद प्रारम्भ कर दिया तथा कहने लगा कि यहाँ पर निकलने का प्रयास किया तो ठीक नहीं होगा। प्रार्थीगण झगड़ा नहीं चाहते है इस कारण प्रार्थीगण 15 फीट की चौड़ाई का रास्ता A, B, C विन्दु तक पूर्ण लम्बाई में प्रार्थीगण के खसरा सं० 417 तक रास्ता डी.एल.सी की दर भूमि का मुआवजा राशि चुकाकर रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है तथा यही एक मात्र रास्ता जो है जो सुगमता से खसरा सं. 417 तक पहुँच सकता है। इस कारण प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में धारा 251ए आर०टी०एक्ट० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि प्रार्थीगण को प्राप्त रास्ता भविष्य काल में कालान्तर तक राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज होकर अमल हो सके तथा हमेशा–हमेशा का विवाद समाप्त हो सके तथा प्रार्थीगण अपने खसरा सं. 417 पर निर्विवाद काश्त कर सके अपने जानवरों को लाने, ले, जाने, ट्रैक्टर–ट्रॉली, कृषि औजार, बैलगाड़ी, सामद, फसल लेकर आते, खाद–बीज लेकर जाते है, यह रास्ता काश्तकारी के लिए अति आवश्यक हैं। यह कि प्रार्थीगण ने अपने स्तर पर काफी प्रयास किये है ग्राम पंचायत सुवांस से भी निवेदन प्रार्थना की है। उनके द्वारा भी मौका देखा गया परन्तु विवाद का समाधान नहीं हो सका तथा लड़ाई–झगड़ा की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इस कारण प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि खसरा सं. 422 में पश्चिमी नेड पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में त[illegible] उत्तरी मेड पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 15 फीट चौ[illegible] A, B, C विन्दु तक दर्शाया है। यह रास्ता [illegible] सहित माननीय न्यायालय से रास्ता प्राप्त कर पूर्ण चौड़ाई 15 फीट की समस्त अवरोध हटाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(4)

रास्ते का ईन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सके इस रास्ते की भूमि की राशि डी. एल. सी की दर से प्रार्थीगण जमा करने को तत्पर तैयार हैं। यह कि वाद कारण 02 माह पूर्व उत्पन्न हुआ है। जब अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 3 एवं परिशिष्ट अ के बिन्दु A, B, C बिन्दु तक रास्ते को रोकने का प्रयास किया विवाद उत्पन्न किया यही वाद कारण रहा है। यह कि विवादित, भूमि, रास्ता, प्रार्थीगण अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि ग्राम रोमलीभवानी तहसील रामपुर में स्थित होने माननीय न्यायालय की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। यह कि माननीय न्यायालय में धारा 251ए आ०टी०एक्ट० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र की सुनवाई एवं निर्णय का बीत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते है कि वाद सुनवाई प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण के खसरा सं. 417 पर पहुँचने के लिए खसरा सं. 422 की पश्चिमी मेड पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में तथा खसरा संख्या 419 की उत्तरी मेड पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई में रास्ता 16 फीट की चौड़ाई का जिसे परिशिष्ट अ में A, B, C बिन्दु स्थान पर पूर्ण लम्बाई चौड़ाई जरिये तहसीलदार रायपुर सीमांकन करपा कर प्रार्थीगण से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का मुआवजा डी.एल.सी की दर से जमा करवा कर रास्ता अप्रार्थी से प्रार्थीगण को दिलवा कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का आदेशधनिर्णय पारित करने की कृपा करे अन्य न्यायोचित राहत जो भी उचित, अतिरिक्त आवश्यक हो प्रार्थीगष्ण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान कि जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 क़ी ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 स्वीकार है लेकिन रास्ता होना अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थी की आराजी में से होकर प्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है वास्तव में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 417, 420, 421, 423 शामलाती खातेदारी ... रही है जिसमें आने–जाने हेतु खसरा नं. 407 में ... रास्ते से होकर ... नं. 421, 420

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

रास्ते का उपयोग करते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

(9)

पर प्रार्थीगण के स्वयं के परिवार के है और इनके द्वारा बंटवारा करवाकर खसरा नं. 417 प्रार्थीगण ने रख लिया है खसर नं. 421, 420 प्रार्थीगण के दादा परिवार क पूर्वज रामनारायण व भागीरथ दोनो भाई थे जिनकी सहखातेदारी में यह आराजी रही है। भागीरथ लड़का देवीलाल है जिसके वारिसान प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नं. 422, 419 में से रास्ता मांगा जा रहा है। वहां मौके पर सागवान, संतरे व अन्य बड़े–बड़े पेड़ खड़े हुए है जो उपयोगी व ईमारती पेड़ है। अप्रार्थी ने अपने खसरा नं. 407 में से रास्ता बना रखा है। जिसमें से खसरा नं. 421 के खातेदार तथा खसरा नं. 420 के खातेदार भी निकलते है और खसरा नं. 420 की उत्तर दिशा की ओर प्रार्थीगण का खसरा नं. 417 आ जाता है जिसमें प्रार्थीगण आ जा सकते है लेकिन प्रार्थीगण अप्रार्थी की भूमि एवं पेड़ों को नुकसान पंहुचाना चाहते है। इसलिए उन्होने जानबुझकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा खसरा नं. 417 में शामलाती खातेदारी में रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपने परिवार के खसरा नं. 421, 420 में होकर रास्ता लेवे जबकि प्रार्थीगण गलत तरीके से अप्रार्थी के खसरा नं. 422, 419 में से रास्ता बता रहे है। जो स्वीकार योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण का रास्ता खसरा नं. 407 में मौजूद रास्ते में खसरा नं. 420, 421 में से होकर निकलता है जिसमें से प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों द्वारा रास्ता मंगा करने से गलत तरीके से अप्रार्थी से रास्ता मांगने लग गये है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 8 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 9 कानूनी होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 10 अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण का रास्ता मौजूद होने के बाद भी उन्होने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

3. अप्रार्थी सं. 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/रा.का./2025/147 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

10.02.2025 से जांच रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– ग्राम सेमलीभवानी की आराजी ख.न. 417 में रास्ते का मौका हमराह परवारी हल्का सुवांस एवं प्रार्थीगण पवन कुमार पिं. देवीलाल जाति कुलमी नि. सेमलीभवानी एवं रामगोपाल के पोत्र धीरज की मौजूदगी में देखा गया। तीनो बिन्दुओ की मौका रिपोर्ट निम्न है–
1. मौके पर प्रार्थीगण पवन कुमार पि. देवीलाल जाति कुल्मी नि. सेमलीभवानी के ख.न. 417 की भूमि पर पहुंचने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। 2. प्रार्थीगण की आराजी ख.न. 417 भूमि पर पहुंचने हेतु ख.न. 419, 422 की मेड़ो पर वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध हो सकता है जिसमें ख.न. 419 पर रास्ता बना हुआ है जो ख.न. 417 तक जा रहा है। 3. प्रार्थीगण पवन कुमार की आराजी ख.न. 417 की भूमि तक पहुंचने हेतु न्यूनतम रास्ता ख. न. 419 लम्बाई 24.24 गटठा गुणा चौडाई 1.45 गटठा = 0.0126 है. व ख.न. 422 की लम्बाई 32.72 गटठा गुणा चौडाई 1.45 गटठा = 0.0252 हेक्टेयर है। नवीनतम डीएलसी दर की प्रति संलगन है।

4. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम सेमलीभवानी तहसील रायपुर का खाता सं. 40, 111, 112 की जमाबंदी सं. 2074–77, खसरा नक्शा दिनांक 09.12.2024, फोटोग्राफस, पेश किये।

5. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से ग्राम सेमलीभवानी तहसील रायपुर का खाता सं. 80, 111, 112, 155 की जमाबंदी सं. 2074–77, खसरा नक्शा, खाता सं. 24 की जमाबंदी सं. 2022–41, फोटोग्राफस, मौका रिपोर्ट दिनांक 29.08.2024, गुगल मेप फोटोग्राफस, नामा.सं. 154 दिनांक 27.11.2000, आर.आर.टी. 2021(1) कल्याण बनाम जगदीश, नामा.सं. 126 दिनांक 31.05.1993, नामा.सं. 38 दिनांक 23.11.1976, नामा.सं. 39 दिनांक 17.11.1976 पेश की।

6. अप्रार्थी सं. 2 पेरोकार सरकार की ओर से हल्का पटवारी की रिपोर्ट, लटठा नक्शा ट्रेस, ग्राम सेमलीभवानी तहसील रायपु[illegible]ता सं. 40, 111, 112 की जमाबंदी सं. 2074–77, एवं प[illegible] राजव/2025[illegible]37 दिनांक 15.09. 2025 से जांच रिपोर्ट पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(11)

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम सेमलीभवानी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 417 तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से तक पहूँचने के लिए ग्राम माथनिया से सेमलीभवानी होकर कालीतलाई जाने वाली मुख्य सडक से चलते हुए अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 422 की पश्चिमी गेड पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में चलकर ख.नं. 419 की उत्तरी गेड पर पूर्व से पश्चिम में रास्ते से होकर आया जाया करते थे लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई रास्ते को बंद कर दिये जाने से वर्तमान में प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं होने से कुछ समय से मजबूरन भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। तहसीलदार रायपुर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025 एवं नवीन रिपोर्ट दिनांक 15.09.2025 में भी प्रार्थीगण की आराजी तक कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण यथा ट्रेक्टर, थ्रेशर, हल, फसल कटाई मशीन आदि लाने ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त आवश्यकंता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। आगे कथन किया कि ख.नं. 415 मंदिर माफी की भूमि होने एवं ख.नं. 414, 416 व 529/416 पर मकान बने होने और आबादी बसी होने से रास्ता नहीं दिया जा सकता है जबकि अप्रार्थी सं. 1 एवं उक्त खेमाशंकर व प्रेमचन्द पाटीदार ने प्रार्थी के रास्ते को बंद करने के लिए धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन तीन दावे सं. 38/2025, 39/2025 व 40/2025 इसी न्यायालय में दर्ज करा दिए है ताकि प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहूँच हेतु कही से भी रास्ता नहीं मिल सके और प्रार्थी परेशान होकर अपनी आराजी अप्रार्थीगण को बेच दे।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते [illegible] नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। [illegible] कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थी[illegible] 422 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(17)

मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 15 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

8. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 417 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि ख.नं. 419 व 422 की मेड से होकर पहूँच हेतु कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहूँच हेतु वैकल्पिक रास्ता अप्रार्थी की ही भूमि से उपलब्ध है जो मुख्य रास्ता ख.नं. 408 से होकर ख.नं. 407 से होता हुआ ख.नं. 421 व 420 की पश्चिम मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए व अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए उक्त वैकल्पिक रास्ते के स्थान पर मुख्य डामर सडक से सुविधाजनक रास्ता चाहते है जो धारा 251 ए आर.टी. एक्ट में देय नहीं है। अतः प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने और मौके पर चालू होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

9. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण के ख.न. 417 तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉडेड सरकारी रास्ता नहीं है और चारो तरफ अप्रार्थी व अन्य परिवारजनो के खाते की आराजी है। पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है ख.नं. 415 व 529/16 आदि से जो अस्थाई रास्ते को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। प्रार्थी को पहूँच हेतु रास्ते की आवश्यकता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी की भूमि पडत रहने की संभावना है।

10. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग –प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. [illegible] तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 417 तक पहूँच हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(13)

राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। प्रार्थी की आराजी के चारो ओर निजी खातेदारी की भूमियां है। ग्राम सेमलीभवानी तहसील रायपुर के नजरी नक्शा व लट्ठा नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है।

(ii) <u>वैकल्पिक रास्ता होना</u> – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है और जो अस्थाई पहूँच मार्ग थे उन्हे अप्रार्थी व उनके पुत्रो द्वारा बंद कर दिया गया है जबकि अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु सनातनी वैकल्पिक रास्ता ख.नं. 407 से होकर ख.नं. 421 व 420 में मौजूद है और प्रार्थीगण वर्षो से इसका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा होने से प्रार्थीगण सुविधा के लिए अप्रार्थी की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है।

हस्तगत प्रकरण में आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के अधीन तहसीलदार रायपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2025 के अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 407 की उत्तरी मेड पर प्रचलित रास्ता बना हुआ है जो आगे चलकर ख.नं. 420 व 421 की पूर्वी मेड तक मौके पर पगडंडी के रूप में मौजूद है। प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु न्यूनतम रास्ता ख.नं. 419 की उत्तरी मेड से ख.नं. 422 की पश्चिम मेड से मुख्य सडक तक होगा लेकिन ख.नं. 419 की उत्तरी मेड के सहारे से दिये जाने वाले रास्ते में करीब 30 सागवान के पेड और ख.नं. 422 की पश्चिम मेड से दिये जाने वाले रास्ते में करीब 12 संतरे के पेड लगे हुए है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया तो पाया कि ग्राम सेमलीभवानी से कालीतलाई की म[illegible] स[illegible] से लगवा ख.नं. 527/414, 526/414, 525/414, 416, 529/416, [illegible]/419, 663/549, 652/549 में मौके पर मकानात बने [illegible] हुई है और मकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

व चार दीवारी को तोडे बिना रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। ख.नं. 415 मंदिर श्रीराम के खातेदारी में है और मंदिर के पुजारियो द्वारा वो कब्जे पर बनाकर बाडा जैसा बना रखा है। ख.नं. 416 के मध्य से होकर रास्ता दिया जा सकता है लेकिन मंदिर माफी की भूमि है। ख.नं. 422 में पश्चिम मेड के सहारे करीब 12 संतरे के पौधे लगे हुए है जबकि ख.नं. 419 में करीब 30-30 सागवान के पेडो की कई कतारे है और उन दोनो खसरा नम्बरो से होकर करीब 10-12 फीट का रास्ता दिये जाने पर भी करीब 34 सागवान व संतरे के हरे पौधे काटने पडेगे जिनके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 82 से 84 के अधीन दिये गये प्रावधानो में सक्षम प्राधिकारी से पेड काटने की नियमानुसार अनुमति भी लेनी होगी। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि ख.नं. 406 सडक से ख.नं. 407 की उत्तरी मेड के सहारे ख.नं. 421 की पूर्वी मेड पर मौके पर रास्ता बना हुआ है और चालू भी है लेकिन ख.नं. 420 व 421 की पूर्वी मेड के सहारे उत्तर की ओर प्रार्थी की आराजी ख.नं. 417 पर कोई भी रास्ता नहीं बना हुआ है। इसी प्रकार ख.नं. 420 व 421 एवं 422 की मध्य मेड के सहारे उत्तर की ओर ख.नं. 418 में बने कुए तक एक 3-4 फीट चौडी पगडंडी बनी हुई है। उक्त 3-4 फीट चौडी पगडंडी से होकर प्रार्थी की आराजी या ख. नं. 418 में बने कुएं तक कोई भी कृषि उपकरण जैसे ट्रेक्टर, ट्राली, थ्रेशर, हल आदि लेकर निकलना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पर्याप्त या अर्प्याप्त वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का यह कथन भी सही है कि अप्रार्थी सं. 1 व उनके पुत्र खेमाशंकर ने भी ख.नं. 411, 409, 529/416, 419, 407, 442, 486/422 आदि को लेकर अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट तीन वाद सं. 38/2025, 39/2025 व 40/2025 इस न्यायालय में पेश किये है जो अभी लंबित है।

अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँच हेतु कोई पर्याप्त वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ख.नं. 420 व 421 तथा [illegible] मध्य मेड के सहारे बनी 3-4 फीट चौडी पगडंडी कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(15)

(iii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नहीं है और कोई पर्याप्त वैकल्पिक रास्ता वर्तमान भीं उपलब्ध नहीं है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी अधोहस्ताक्षरकर्ता ने दौराने निरीक्षण नहीं पाया गया। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः **साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(iv) <u>लघुतम रास्ता होना</u>:– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लटठा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025 एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.09.2025 से जाहिर है कि **उपलब्ध लघुत्तम रास्ता ख.नं. 419 व 422 की मेड के सहारे होते हुए प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 417 तक होगा जिसकी लम्बाई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 419 में 200 फीट, ख.नं. 422 में 273 फीट** होगी जो अप्रार्थी की कब्जाकाश्त भूमि प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग में आएगी। प्रार्थीगण द्वारा 15 फीट चौडा रास्ता की अ[illegible] है जबकि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए 1[illegible] रास्ता [illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(16)

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 417 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की ख.नं. 419 की आने वाली 200 X 10 = 2000 वर्ग फीट भूमि, ख.नं. 422 की आने वाली 273 X 10 = 2730 वर्ग फीट भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थीगण की भूमि कुल रकबा 4730 वर्ग फीट अर्थात 440 वर्ग मीटर का वर्तमान डीएलसी की दुगुनी दर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना उचित होगा।

11. नवीन रास्ते में आने वाले संतरे एवं सागवान के हरे पेडो का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी से कराया जाकर अप्रार्थी को भुगतान कराया जाना न्यायोचित होगा।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण, तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 10.02.2025, मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.09.2025 एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के मौका निरीक्षण के अनुसार ग्राम सेमलीभवानी तहसील रायपुर की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 417 तक पहूॅच हेतु अप्रार्थी के ख.नं. 419 व 422 से नया रास्ता दिये जाने के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

13. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेमलीभवानी तहसील रायपुर की अप्रार्थीगण की ख.नं. 422 की पश्चिम मेड एवं ख.नं. 419 की उत्तरी मेड के सहारे ख.नं. 417 तक रास्ते की भूमि में आने वाले संतरे एवं सागवान के हरे पेडो को काटने की सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किये जाने और पेडो का मूल्यांकन कराने के उपरांत नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। नये रास्ते में उपयोग आने वाली ख.नं. 419 की 200 X 10 = 2000 वर्ग फीट भूमि एवं ख.नं. 422 की आने वाली 273 X 10 = 2730 वर्ग फीट भूमि कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 4730 वर्ग फीट अर्थात 440 वर्ग मीटर की नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का एवं काटे जाने वाले पेडो की मूल्यांकन राशि का भुगतान अप्रार्थी को किये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/11/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner